संख्या- 63/2057/बयालिस-2015-38/एस0पी0/104/82

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2015**

विषय :- **भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों/पहलवानों को वित्तीय सहायता दिये जाने सम्बन्धी धनराशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश संख्या- 1090/बयालिस-96-407/एस0पी0/77, दिनांक 26 मार्च, 1996, शासनादेश संख्या- एस0पी0/1394/बयालिस-96-407/एस0पी0/77, दिनांक 26 मार्च, 1990, शासनादेश संख्या- एस0पी0/3990/बयालिस-2001-407/एस0पी0/77, दिनांक 14.12.2001 एवं शासनादेश संख्या- 1730/बयालिस-2005-38/एस0पी0/104/82, दिनांक 31 मई, 2005 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों/पहलवानों को वित्तीय सहायता दिये जाने सम्बन्धित उक्त शासनादेश दिनांक 31 मई, 2005 को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए आर्थिक सहायता योजना को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- राज्य स्तर के खिलाडियों को आर्थिक सहायता की दर रू0 2,000/- से बढ़ाकर 4,000/- रू0 प्रति मास कर दिया जाये।

(2)- राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को आर्थिक सहायता की दर रू0 3,000/- से बढ़ाकर 6,000/- रू0 प्रति मास कर दिया जाये।

(3)- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को आर्थिक सहायता की दर रू0 5,000/- से बढ़ाकर 10,000/- रू0 प्रति मास कर दिया जाये।

(4)- उपरोक्त श्रेणी 1, 2 व 3 के पात्र खिलाडियों की आय सीमा की छूट रू0 10,000/- रूप से बढ़ाकर रू0 20,000/- किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

......2

(5)- अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पदमश्री एवं पदम भूषण से सम्मानित खिलाडियों को रू0 20,000/- रू0 प्रति मास सहायता प्रदान की जाये।

(6)- अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पदमश्री एवं पदमभूषण से सम्मानित खिलाडियों को आर्थिक सहायता की पात्रता हेतु आय सीमा से छूट प्रदान किया जायेगा।

(7)- उपरोक्त विभिन्न स्तर के खिलाडियों को उक्त आर्थिक सहायता में से एक ही वर्ग की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2- शासनादेश संख्या- 1730/बयालिस-2005-38/एस0पी0/104/82, दिनांक 31 मई, 2005 की अन्य शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-5- 1109/दस-2015, दिनांक : 28 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव।

<u>संख्या- 63/2057(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(3)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in